



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4991]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 20, 2018/अग्रहायण 29, 1940

No. 4991]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 20, 2018/AGRAHAYANA 29, 1940

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2018

का.आ. 6225(ब).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 458 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड (41) के पहले परंतुक और धारा 14 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक के अधीन इसमें विहित शक्तियों और कार्यों को मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद और शिलांग स्थित प्रादेशिक निदेशकों को इस शर्त के अध्यधीन प्रत्यायोजित करती है कि केंद्रीय सरकार का मत हो कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक होगा तो उक्त उप-धारा के अधीन शक्तियों का प्रत्यायोजन रद्द कर सकती है या इनका स्वयं प्रयोग कर सकती है।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 1/06/2014-सीएल-V, पार्ट-1]

के. वी. आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th December, 2018

S.O. 6225 (E).—In exercise of the powers conferred by section 458 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby delegates to the Regional Directors at Mumbai, Kolkata, Chennai, New Delhi, Ahmedabad, Hyderabad and Shillong, the powers and functions vested in it under the first proviso to clause (41) of section 2 and second proviso to sub-section (1) of section 14 of the said Act, subject to the condition that the Central Government may revoke such delegation of powers or may itself exercise the powers under the said sub-section, if in its opinion such a course of action is necessary in the public interest.

2. This notification shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 1/06/2014-CL-V, Part-I]

K. V. R. MURTY, Jt. Secy.